मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.... सिकराय .....

सरकार बनाम ....छाजू.....बगैरह.....

किस्म मुकदमा .....अपील..... मु० नं० .....12/14.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्व हद्द व अधिकार होता है गोकुल की वारिस उनकी दोनों पुत्रीयाँ छाजी व छोटी होने के कारण गोकुल की दूसरे व्यक्ति के नाम नामान्तरण किया है जो अपीलान्ट को बिना सुने, नोटिस दिये एकतरफा दर्ज किया गया है ऐसे शून्य नामान्तरण के लिये कानूनी होई मगडाऊ की हकीयत नही है यह अपील अन्दर मयाद शुमार ही आती है अपीलान्ट राजी परसन भी है गोकुल के वास्तविक वारिसान उनकी पुत्रीयों को बिना सुने, बिना वारिसान की जाँच किये एकतरफा में अवैधानिक तरीके से अपीलाधीन नामान्तरण ग्राम पंचायत ने किया है जबकि गोकुल की वारिस तो उनकी दोनों पुत्री व उनकी संतानें है अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरण सं. 164 दि. 15.6.75 ग्राम डण्डा बयेडी तहसील सिकराय निरस्त किया जाता है तहसीलदार सिकराय इस निर्णय के साथ रिकार्ड (प्रतिप्रेषित) किया जाता है कि वे मूल खातेदार गोकुल के वारिसान की जाँच कर पुनर्विचार कर गोकुल के वारिसान के हक में निर्णय पारित कर नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पन्नाचली फैसल शुमार बेहद असर से रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा